



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112020-222995
CG-DL-E-06112020-222995

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3544]
No. 3544]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2020/कार्तिक 15, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2020/KARTIKA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2020

का.आ. 4023(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः :—

इस अनुसूची में, क्रम सं. 248 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
248	310ए	सिक्किम राज्य में ताशी व्यू प्वाइंट के निकट रारा-10 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर फोडोंग, मंगन, कुदयोंग, चुंगथांग, लाचुंग, यमथांग, युमे को जोड़ते हुए और जीरो प्वाइंट के निकट समदांग सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/6/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3641(अ), दिनांकित 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2020

S.O. 4023(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 248 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
248	310A	The highway starting from its junction with NH-10 near Tashi view point connecting Phodong, Mangan, Kudyong, Chungthang, Lachung, Yumthang, Yume and terminating at Samdang Border near zero point in the State of Sikkim.

[F. No. NH-14012/6/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 3641(E), dated 16th October, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2020

का.आ. 4024(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के स्तम्भ क्रमशः (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
573	310एजी	सिक्किम राज्य में चुंगथांग रारा-310ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर लाचेन मोनेस्ट्री-लोग पुल-मुगुथांग-नाकू को जोड़ते हुए और भारत/तिब्बत सीमा के निकट नाकुला पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/6/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का.आ. 3641(अ), दिनांकित 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2020

S.O. 4024(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
573	310AG	The highway starting from its junction with NH-310A Chungthang connecting Lachen Monastery-Log Bridge-Muguthang- Naku and terminating at Nakula near Indo/ Tibet Border in the State of Sikkim.

[F. No. NH-14012/6/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 3641(E), dated 16th October, 2020.